जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 24-08-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

नाबालिग को बहला – फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 483/20 धारा 363 / 366 / 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता गुलाम रजा पुत्र रमजान अली निवासी टाडा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनॉक 04.08.2020 को अभियुक्त द्वारा वादी विनोद पुत्र गिरधर की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया, जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर दिनांक 05.08.2020 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे थाना धनघटा पुलिस उ0नि0 भोला प्रसाद मय हमराह का0 आशीष कुशवाहा द्वारा आज अपहृता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता त्रिपुरारी मिश्र पुत्र अखिलेश्वर मिश्र निवासी रमवापुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 300/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता अब्दुल कलाम पुत्र मोहम्मद याकूब निवासी अमठरी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 148/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- प्रमोद गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता निवारी उत्तर पट्टी थाना मेहदावल जनपद संतबीरनगर 2- दिलीप गुप्ता पुत्र जगदेव प्रसाद गुप्ता निवासी वैरियहवां थाना कोतवाली नगर जनपद बस्ती 3- जीतलाल पुत्र गनपत निवासी वैरियाहवां थाना मेहदावल जनपद संतबीरनगर को गिरफ्तार कर उनके पास से क्रमशः 10-10 ली0 व 05 लीटर (कुल 25 ली0) अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 222/20, 223/20 व 224/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1490 द्वारा मारपीट के विवाद को कराया शांत</u> – पीआरवी <u>1490</u> को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत ददरार से इवेन्ट संख्या 05295 से कालर दुर्गा प्रसाद ने काल कर जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद के सम्बन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 02 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया। पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुचकर विवाद को शांत कराकर बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई। ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 दिनेश यादव, म0आ0 मीनू राजभर, हो0चा0 सोमनाथ यादव ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 212 वाहनो से 209300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 212 वाहनो से 209300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।